उत्तरांचल सरकार
वित्त अनुभाग–5
संख्या–   /XXVII(5)/स्टाम्प/2004
देहरादूनः दिनांक 25 नवम्बर, 2004

अधिसूचना

उत्तरांचल मे प्रवर्तन हेतु समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय अधिसूचना संख्या–545/वि0अनु0–5/स्टाम्प व रजि0/2003, दिनांक 16.12.2003 के सन्दर्भ में पट्टेधारी अधिकारों को पूर्ण स्वामित्व अधिकारों में परिवर्तित करने के प्रयोजन के लिये नजूल भूमि के पट्टेदार के पक्ष में उत्तरांचल राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निष्पादित लिखत पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की मद 23 के खण्ड (क) की अनुसूची 1–ख के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की ऐसी धनराशि, जो पूर्ण स्वामित्व लिखत में दी गयी प्रतिफल की धनराशि से, ऐसी नजूल भूमि के बाजार मूल्य तक अधिक हो, पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क दिनांक 31.05.2004 को समाप्त अवधि के स्थान पर दिनांक 30.11.2004 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिऐ उक्त सीमा तक कम करने तथा अधिसूचना संख्या–545/वि0अनु0–5/स्टाम्प व रजि0/2003, दिनांक 16.12.2003 में संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

सं0– –   /XXVII(5)/स्टाम्प/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि हिन्दी तथा अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति उप–निदेशक लिथो प्रेस, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इसे गजट के आगामी अंक में प्रकाशित कराते हुए उसकी 200–200 प्रतियां शासन के वित्त अनुभाग–5 को उपलब्ध करा दें।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव।

सं0–   /XXVII(5)/स्टाम्प/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, आवास विभाग, उत्तरांचल शासन देहरादून।
2. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तरांचल, देहरादून।
3. मण्डलायुक्त, कुमाऊ एवं गढ़वाल।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5. समस्त जिला निबन्धक एवं सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तरांचल।
6. सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, उत्तरांचल, देहरादून।
7. विधायी विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(एल0एम0 पन्त)
अपर सचिव।